अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपात प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) की आचरण पद्धति) विनियम, 2010, में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् : :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपाद प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) की आचरण पद्धति) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक [आपात प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) की आचरण पद्धति] विनियम, 2010, के विनियम 30.0 में उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् : :—

"(2) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।"।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 39(अ), दिनांक 18-1-2010 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

66 GI/15-5

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/I/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board [Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)] Regulations, 2010, namely:—

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board [Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)] Amendment Regulations, 2014, namely:-

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 30.0 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP) Regulations, 2010, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.".

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 39(E) dated 18-1-2010.